राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकःप.3 (च)( )का.प्र./स्थानि/23/8223 दिनांक 4/10/2024

आदेश

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के द्वारा जयपुर संभाग व बीकानेर संभाग में से सीकर, जोधपुर संभाग में से पाली एवं उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा सहित कुल 03 नवीन संभागों का गठन किया गया है। जिसके क्रम में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1786–1901 दिनांक 01.09.2023 द्वारा नवगठित 03 संभागों में विभाग के संभाग स्तर पर नवीन कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु वित्त विभाग से पद सृजन की स्वीकृति प्राप्त होने एवं कार्मिकों के पदस्थापन तक उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर द्वारा क्रमशः नवीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निकाय विभाग सीकर, पाली, बांसवाड़ा का कार्य आगामी आदेशों तक सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

चूंकि राजस्व (ग्रुप–1) विभाग की उक्त अधिसूचना द्वारा भीलवाड़ा जिले को उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया है, अतः भीलवाड़ा जिले में स्थित समस्त नगर निकाय, उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय, अजमेर के स्थान पर उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय, उदयपुर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

(कुमार पाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःप.3 (च)( )का.प्र./स्थानि/23/8224–8263 दिनांक 4/10/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. संभागीय आयुक्त, अजमेर/उदयपुर।
04. जिला कलक्टर, अजमेर/उदयपुर।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण, निदेशालय।
06. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय,राज0।
07. समस्त संबंधित नगर निकाय, राज0।
08. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with OKEN Scanner